214

293

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालेयर कम्प जबलपुर

1:- शेख डब्बल बहना आत्मज शेख पूरन बहना P 870-I-17

2:- कमरूननिशा पति शेख डब्बल बहना दोनों निवासी

आजाद वार्ड गोटेगांव तह. गोटेगांव जिला नरसिंहपुर ...आवेदकगण

बनाम

अब्दुल रज्जाक आत्मज शेख मुर्तुजा, सदर, वक्फ जामा मस्जिद

कमेटी गोटेगांव तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर ..... अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

आवेदकगण वर्तमान निगरानी रा.मा.क्रमांक 148ब/121/सन् 15-16 एवं रा.मा.क्रमांक 46 ब/121 सन् 2015-16 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) गोटेगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 14/2/2017 से सीमांकन प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत अंतिम तर्क को प्रकरण नियत कर देने से पीड़ित होकर अन्य अनेक आधारों में से निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

तथ्य

1:- यह कि आवेदकगण के म.प्र. शासन द्वारा प्रदत्त आवासीय पटटा मुख्यमंत्री आश्रम योजना वर्ष 2013 के अन्तर्गत आवासी पटटा मौजा छोटा छिंदवाड़ा गोटेगांव स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 5 प्लाट क्रमांक 34/1 मेंसे 10x 50= 500 वर्गफुट का स्थायी पटटा दिनांक 25/7/2013 में प्रदत्त किया गया था जिस पर आवेदकगण ईट व टीन शेड बनाकर शांति प्रिय निवास करते चले आ रहे है परन्तु अनावेदक अब्दुल रज्जाक वर्तमान में जामा मस्जिद कमेटी गोटेगांव का अध्यक्ष बन जाने के पश्चचात मस्जिद के अलावा नजूल व खाली जगह पर अतिक्रमण कर दुकानें बना कर किराये पर चलाने लगा तथा आवेदकगण के पटटे की भूमि भी हड़पने की नियत से झूठी शिकायत श्रीमान एस.डी.ओ. गोटेगांव को पटटा निरस्ती हेतु प्रस्तुत किया जो शिकायत प्रकरण क्रमांक 148ब/121 सन् 15-16 पंजीबद्व होकर लंबित है।

2:- यह कि इसी दौरान अनोवदक ने मस्जिद की जमीन नाप करानें हेतु आवेदन दिया जो रा.मा.क्र. 46ब/121 सन् 15-16 दर्ज होकर राजस्व निरीक्षक नजूल गोटेगांव को नाप के आदेश दिए गए तब बिना चांदा पत्थर के मोके पर कोई मकानात निर्माण रहते हुए भी मस्जिद के नाम दर्ज शीट क्रं.5 प्लाट क्रमांक 35 रकवा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-870-एक/17 **जिला** - नरसिंहपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25/02/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.एस. साहू उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 30.04.2019 को कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **कलेक्टर जिला नरसिंहपुर**	